

झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (जेडा)
राँची

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:20/JREDA/Biogas/2013-14

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता: निदेशक, जेडा, अशोक नगर, राँची।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं स्थान: दिनांक 01.08.2013
जेडा, 328/बी0, रोड़ सं0-4,
अशोक नगर, राँची अथवा
www.jreda.com से डाउनलोड
किया जा सकता है।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय: दिनांक 30.08.2013 के अपराह्न
2.00 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान: दिनांक 30.08.2013 के अपराह्न
3.00 बजे जेडा, 328/बी0, रोड़ सं0-4, अशोक नगर, राँची।
5. कार्यो की विस्तृत विवरणी:

क्रमांक	कार्य का नाम	बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु लक्ष्य	कुल भुगतेय अनुदान (रु0 में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र की राशि (रु0 में)	अभियुक्ति
1	झारखण्ड राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में (2-6 घनमीटर क्षमता) दीनबंधु माडल बायोगैस संयंत्र के निर्माण कार्य हेतु।	500 घनमीटर	4000 x 500= 2000000.00	40000.00	1000.00	

निदेशक,
जेडा, राँची।

NIB No20/JREDA/BioGas/2013-14

परिमाण विपत्र

कार्य का नाम:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र (2-6 घनमीटर क्षमता) निर्माण कार्य हेतु।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी में बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एन0जी0ओ0/ सहकारी समितियों/अन्य संस्थाओं से बन्द लिफाफे में दो भागों में निविदा आमंत्रित की जा रही है। (भाग-1, तकनीकी-कॉमर्शियल एवं भाग-2, वित्तीय)।

उद्देश्य: झारखण्ड के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर आधारित अथवा शौचालय के मल आधारित बायोगैस संयंत्र निर्माण कर अक्षय ऊर्जा के व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता को इसके उपयोग हेतु जागरूक करना ताकि अक्षय ऊर्जा का उपयोग वृहद रूप से किया जा सके तथा पर्यावरण को प्रदूषणरहित बनाया जा सके।

कार्य विवरण:- ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (जेडा) द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एन0जी0ओ0/ सहकारी समितियों/अन्य संस्थाओं के माध्यम से झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग हेतु प्राप्त न्यूनतम दर पर संस्थाओं का चयन करते हुए पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है।

संवेदक से यह अपेक्षा है कि:-

1. वह स्वयं लाभुकों को चिन्हित करेंगे एवं इस क्रम में निर्माण कार्य करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी के पास कम से कम 5 (पाँच) या पर्याप्त मात्रा में वयस्क मवेशी हो तथा लाभार्थी अंशदान की राशि व्यय करने में सक्षम हो साथ ही संयंत्र में प्रतिदिन गोबर एवं पानी का मिश्रण भरने को तैयार हो। शौचालय से जुड़े हुए बायोगैस प्लांट पर रु0 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा। लाभुक को चिन्हित करने के पश्चात् संवेदक द्वारा जेडा को इससे संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने पर जेडा से अनुमोदन पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा। इस क्रम में संवेदक चिन्हित लाभुक का प्रोत्साहित, प्रशिक्षित

भी करेंगे एवं लाभुक अंशदान एवं ज़ेडा अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी लाभुक को देंगे।

2. ज़ेडा के द्वारा बायोगैस संयंत्र में निम्न अनुसार अनुदान भुगतान का प्रावधान है:-
 - (i) 2 घन मीटर क्षमता के प्लांट हेतु रु0 4000/- प्रति घन मीटर की दर अनुसार केन्द्रीय अनुदान देय होगा। 3 घनमीटर से 6 घनमीटर के आकार के प्लांट हेतु भी रु0 4000/- प्रति घनमीटर राज्य सरकार का अनुदान देय होगा। प्रत्येक प्लांट को 5 वर्ष के रख-रखाव हेतु रु0 1500/- की राशि प्रति प्लांट देय होगी। शौचालय आधारित प्रत्येक बायोगैस प्लांट हेतु रु0 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा।
 - (ii) अनुदान की राशि का भुगतान, संयंत्र से गैस निकलने, लाभार्थी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, के साथ साथ अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु आवेदन पत्र, जिसमें उल्लेखित हो कि अनुदान की राशि संस्था को देने हेतु प्राधिकृत करता हूँ एवं लाभार्थी द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा कि संयंत्र में सभी उपकरण लगे हुए हैं, संयंत्र से गैस प्राप्त हो रहा है, लाभार्थी प्रमाण पत्र में उपकरणों की सूची दर्ज हो तथा ज़ेडा प्रतिनिधि द्वारा शत्-प्रतिशत संयंत्रों का भौतिक सत्यापन/जॉच के पश्चात् संवेदक/लाभुक को अनुदान देय होगा।
3. 2, 4 एवं 6 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र का निर्माण बराबर अनुपात में करना अनिवार्य है।
4. संयंत्र के उपरी भाग पर “ (क) ज़ेडा द्वारा देय अनुदान से निर्मित, (ख) निर्माण का वित्तीय वर्ष, (ग) लाभुक का नाम एवं (घ) निर्माणकर्ता का नाम” अंकित करना अनिवार्य होता है।
5. संयंत्र के निर्माण में व्यय की गई राशि का विवरण तथा ड्राईंग (अवयव वार मापी सहित) विपत्र के साथ संलग्न करना होता है।
6. प्रत्येक संयंत्र का दो डिजिटल फोटो (सी0डी0/डी0भी0डी0 में) समर्पित करना अनिवार्य है। फोटो के पीछे संयंत्र के स्थान एवं लाभार्थी का नाम अंकित हो। एक लाभार्थी को संयंत्र के पास खड़ाकर फोटो लिया जाएगा ताकि संयंत्र के साथ लाभार्थी का फोटो भी चित्रित हो तथा दूसरा जलते हुए चूल्हे के साथ होना चाहिए।

7. संस्था को पाँच साल तक संयंत्र की मरम्मत करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तत्संबंधी शपथ पत्र संस्था द्वारा ज़ेडा को देना होगा।
8. रख-रखाव की फीस दो किस्त में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त संयंत्र चालू होने के दो साल बाद तथा दूसरा अर्थात् अंतिम किस्त चार साल के बाद देय होगा। रख-रखाव फीस की दोनो किस्तों में भुगतान हेतु लाभार्थी से संयंत्र कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
9. निर्माणाधीन संयंत्र का निरीक्षण ज़ेडा द्वारा किया जाएगा। अतः निरीक्षण हेतु पत्र ज़ेडा में समर्पित करना अनिवार्य है।
10. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का बुकलेट (binding) के अलावे, निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों के लाभुकों की सूची तथा ग्रामवार, प्रखण्डवार तथा जिलावार सारांश विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।
11. विपत्र के साथ इस संयंत्र अनुदान अन्य किसी एजेन्सी द्वारा नहीं लिया गया है तथा नहीं लिया जाएगा, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. बायोगैस संयंत्र के आउटलेट में ढक्कन लगाना अनिवार्य है।
13. बायोगैस संयंत्र का निर्माण Cluster village में करना अनिवार्य है।
14. 6 (छः) घनमीटर बायोगैस में लाभुकों को **double chulha** देना अनिवार्य है।

झारखण्ड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के पास बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु कुशल बायोगैस तकनीशियन, कुशल राजमिस्त्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ संवेदक को समय-समय पर ज़ेडा कार्यालय को निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों की जानकारी देनी होगी।

II. शर्तें:-

- I. निविदा कागजात बन्द लिफाफे में दो भागों में यथा भाग-1 (तकनीकी एवं कॉमर्शियल) तथा भाग-2 (वित्तीय) को एक बड़े लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य है।
- II. बायोगैस संयंत्र निर्माण कुल प्राक्कलित राशि प्रति 1 घनमीटर क्षमता के लिए दर (सभी कर सहित) समर्पित (अनुलग्नक-ख) में करना है।
- III. निविदा विपत्र शुल्क की राशि रु0 1000/- (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रु0 40000/- (चालीस हजार) मात्र अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट, निदेशक ज़ेडा के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य है। बिना निविदा विपत्र शुल्क एवं अग्रधन शुल्क के स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- IV. इच्छुक [संस्था/N.G.O/Pvt. Ltd.](#) को अपना पूरा बायोडाटा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- V. **पूर्व कार्य अनुभव:-** निविदादाता को बायोगैस संयंत्र निर्माण का अथवा इसी प्रकार के अन्य सिविल निर्माण कार्यों का सरकारी क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक है। इसका

- प्रमाण हेतु कार्यादेश एवं उसका संतोषजनक कम्प्लिशन सर्टिफिकेट समर्पित करना है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। संवेदक का आयकर विभाग से पैन कार्ड आवंटन आवश्यक है एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि समर्पित करें।
- VI. भुगतान इस मद् में राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा एवं कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- VII. दिनांक 30.08.2013 के अपराह्न 3.00 बजे तक जेडा कार्यालय में निविदा कागजात जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 30.08.2013 को अपराह्न 3:30 बजे क्रय समिति के समक्ष निविदा कागजात खोला जाएगा।
- VIII. तकनीकी भाग में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय भाग खोला जाएगा।
- IX. यह निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। परन्तु अवधि घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
- X. किसी भी समय बिना सूचना के निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

III. निविदादाताओं के लिए निर्देश:-

लिफाफा-1

1. भाग-1 (तकनीकी एवं कॉमर्शियल) के लिफाफा पर तकनीकी बीड लिखा एवं सील होना चाहिए।
2. चेक लिस्ट जो कि अनुलग्नक-क में है को भरकर समर्पित करना है।

लिफाफा-2

3. भाग-2 (वित्तीय भाग) के लिफाफा पर वित्तीय बीड लिखा एवं सील होना चाहिए।
4. वित्तीय भाग जो कि अनुलग्नक-ख में है को भरकर समर्पित करना है।

निदेशक
जेडा, राँची।

NIB No. 20/JREDA/Biogas/2013-14
तकनीकी बिड का चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	हाँ/नहीं	पेज नं०
1	निविदा विपत्र की राशि रु० 1000/- (एक हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट।		
2	अग्रधन की राशि रु० 40,000/- (चालीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट।		
3	अभिप्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति।		
4	पूर्व कार्यनुभव का छायाप्रति।		
5	अभिप्रमाणित संस्था का बायोडाटा की छायाप्रति।		

निविदादाता का हस्ताक्षर

NIB No. 20/JREDA/Biogas/2013-14वित्तीय भाग

क्रमांक	कार्य विवरण	दर प्रति घनमीटर क्षमता (रु० में) (शब्द एवं अंक में)
1	वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में (2-6 घनमीटर क्षमता) दीनबंधु माडल बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य हेतु।	

निविदादाता का हस्ताक्षर